**Seventeenth Loksabha**

>

Title: Regarding amendments in relief norms under SDRF/NDRF-laid.

**श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य):** प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्काल राहत पर चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-2020 की अवधि के लिए एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदंडों में संशोधन किए थे । इन मानदंडों को 01 अप्रैल, 2015 से लागू किया गया । बीते छह वर्षों में मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भारी बदलाव आया है और कोरोना महामारी के कारण देश की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित हुई है तो इन मानदंडों की समीक्षा करना आवश्यक है । पिछले दो वर्षों से बाढ़ ने पूरे देश में बहुत सारी भूमि, संपत्ति और मानव जीवन को भारी नुकसान पहुँचाया है । इस मानसून में भी बाढ़ की स्थिति विशेष रूप से महाराष्ट्र में सबसे खराब रही है । महाराष्ट्र राज्य में 'निसर्ग' और 'तौकता' साइक्लोन में सार्वजनिक संपत्ति और मानव जीवन का भारी नुकसान हुआ । प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्काल राहत के सभी नॉर्म में संशोधन करने की आवश्यकता है । भारत सरकार ने एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के मानदंडों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है । महाराष्ट्र के कोंकण तट पर हर वर्ष चक्रवात आते हैं और मुंबई में मूसलाधार बारिश के कारण भारी बाद आती है, जिसमें हर बार भारी नुकसान होता है । समय की आवश्यकता के अनुसार एसडीआरएफ के मानदंडों में महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में संशोधन किए हैं तो इन मानदंडों की समीक्षा के लिए गठित केन्द्रीय समिति को महाराष्ट्र सरकार द्वारा संशोधित मानदंडों को अपनी सिफारिशों में सम्मिलित करने की आवश्यकता है ।